

12.10.18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के अनुपस्थित सदस्य की  
झोर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन दिया गया है। द्वितीय  
पक्ष के दोनों सदस्य उपस्थित हैं।  
अभिलेख दिनांक 02.11.18 को रखा।

अनु 205A

02.11.18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के एक सदस्य उपस्थित हैं  
एवं अनुपस्थित सदस्य की झोर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन  
दी गई है। द्वितीय पक्ष उपस्थित है।  
अभिलेख दिनांक 27.11.18 को रखा।

अनु 205A

27.11.18

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष के सदस्यों के द्वारा दायी  
प्रस्तुत किया गया है। पीठासीन पदाधिकारी अवकाश में है।  
अभिलेख दिनांक 14.12.18 को रखा।

अनु 205A

14.12.18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के अनुपस्थित सदस्य की  
झोर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन दी गई है। द्वितीय पक्ष  
के दोनों सदस्य उपस्थित हैं। पीठासीन पदाधिकारी अवकाश में है।  
अभिलेख दिनांक 04.01.2019 को रखा।

अनु 205A

04.01.19

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के एक सदस्य उपस्थित  
हैं एवं एक अनुपस्थित सदस्य की झोर से प्रतिनिधित्व हेतु  
आवेदन दी गई है। द्वितीय पक्ष के झोर से 6 माह समाप्त  
होने का हवाला देते हुए वर की सरवाइ समाप्त होने का  
आरोप किया गया है।

# COMBINED TITLE PAGE AND TABLE OF CONTENTS

FILE

*Anju Tiv*  
Complainant  
Applicant

IN THE COURT OF

*S.D.M Sadar Chaibasa*

Case No.

*36/2018*  
*36/2018*

Accused

Opposite party

*Navin Sawainya*

Section of the Indian penal Code or other law...

Date of the Decision of the original Court ...

Date of the decision of Appellate or Revisional Court ...

## TABLE OF CONTENTS

1	2	3	4	5	6
Serial number of paper	Sheets	Description	Value of Court-fee Stamps	Period for which to be preserved	Remarks
<i>1-112</i>	<i>112</i>	<i>entire record</i>			

*25.04.19*